

पड़ोसी प्रथम नीति एवं भारत भूटान सम्बंध

डॉ. विवेक कुमार राय¹, अभिषेक कुमार मणिक²

¹ असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी.जी. कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

² शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी.जी. कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

वर्तमान सरकार का जब गठन हुआ तो विदेश मंत्री पद पर पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर की नियुक्ति ने एकबारगी सभी को हैरानी में डाल दिया। इस पद पर नियुक्त होने के बाद नए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत अपनी पहली विदेश यात्रा के लिये भूटान को चुना। भूटान के साथ सदियों से भारत के मधुर संबंध रहे हैं और यह भारत का करीबी सहयोगी रहा है तथा पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है। विदेश मंत्री के इस दौर से यह भी स्पष्ट हुआ कि निकट मित्र एवं पड़ोसी भूटान के साथ संबंधों को भारत कितना महत्त्व देता है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले विदेश दौरे के लिये भूटान को ही चुना था। वर्ष 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो बिस्मटेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरींग भी शामिल थे।

मूल शब्द: भारत, भूटान, लुक ईस्ट पॉलिसी, मुक्त व्यापार व्यवस्था

'पड़ोसी प्रथम नीति' में भी भारतीय विदेश नीति में विद्यमान निरंतरता के तत्त्वों को कायम रखा गया है, जिसमें वैश्विक शांति, मित्रता एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल प्रदान करते हुए गुजराल सिद्धांत की प्राथमिकता को स्वीकार लिया गया है। इसके तहत पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हुए उनके आर्थिक विकास तथा संवृद्धि में भागीदार बनने की प्रतिबद्धता को बल प्रदान किया गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए किसी देश के दल-विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी दलों के साथ संबंधों को मधुर एवं प्रगाढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। इसे अफगानिस्तान में शांति एवं स्थायित्व स्थापना के अंतर्गत आए भारतीय दृष्टिकोण के परिवर्तन के संदर्भ में देखा जा सकता है। पड़ोसी देशों को प्राथमिकता प्रदान करके उनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप न करते हुए उनके यहाँ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, निवेश को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में भूटान सबसे प्रथम स्थान पर आता है और संबंधों की मजबूती के लिये ही सहयोगात्मक कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है।

प्राविधि

- इस शोध प्रपत्र का उद्देश्य भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के सन्दर्भ में भारत-भूटान सम्बंध का विशेष महत्त्व को समझना है जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान की जा सके तथा समान हितों की पूर्ति आसानी से हो सके छ इस अध्ययन द्वारा निम्न प्रश्नों के समाधान खोजने का प्रयास किया गया है
- पड़ोसी प्रथम नीति से सम्बंध किस प्रकार और भी बेहतर होंगे।
- भारत का भूटान के लिए क्या है विशेष महत्त्व।
- मौजूदा आपसी समस्याओं के बेहतर निदान।


इस अध्ययन में विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से डाटा संकलित किया गया है तथा उनके विश्लेषण के माध्यम से भारत- भूटान

संबंधों की बेहतरी का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में विशेष रूप से विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से आकड़ों का संकलन किया गया है।


भारत- भूटान संबंधों के आर्थिक पहलू

- भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 9228 करोड़ रुपए का था। इसमें भारत से भूटान को होने वाला निर्यात 6011 करोड़ रुपए (भूटान के कुल आयात का 84b) तथा भूटान से भारत को होने वाला निर्यात 3217 करोड़ रुपए (भूटान के कुल निर्यात का 78 प्रतिशत) दर्ज किया गया।
- भारत से भूटान को निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज उत्पाद, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, बिजली के उपकरण, धातुएँ, वाहन, सब्जी उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुएँ शामिल हैं।
- भूटान से भारत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ हैं- बिजली, फेरो-सिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट, सिलिकॉन, सीमेंट क्लिंकर, लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद, आलू, इलायची और फल उत्पाद।
- भारत-भूटान व्यापार और पारगमन समझौता, 1972 (India&Bhutan Tradeand TransitA greement, 1972) द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार संचालित होता है, जिससे अंतिम बार नवंबर 2016 में नवीनीकृत किया गया था तथा जो जुलाई 2017 में प्रभावी हुआ था।

इस समझौते ने दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित की। समझौते में तीसरे देशों को भूटानी निर्यात के ड्यूटी फ्री ट्रांजिट का भी प्रावधान है।



चित्र 1: भारत का भूटान से आयात



UNCTAD WITS database

चित्र 2: भारत द्वारा भूटान को निर्यात

भारत- भूटान सम्बंधों के रणनीतिक आयाम


- भूटान भारत का निकटतम पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। द्विपक्षीय भारतीय-भूटान समूह सीमा प्रबंधन और सुरक्षा की स्थापना दोनों देशों के बीच सीमा की सुरक्षा करने के लिये की गई है। वर्ष 1971 के बाद से भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र में भूटान जैसे छोटे हिमालयी देश के प्रवेश का समर्थन भी भारत ने ही किया था, जिसके बाद से इस देश को संयुक्त राष्ट्र से विशेष सहायता मिलती है। भारत के साथ भूटान मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंध रखता है। भूटान सार्क का संस्थापक सदस्य है और बिस्स्टेक, विश्व बैंक तथा

आई•एम•एफ• का सदस्य भी बन चुका है। भौगोलिक स्थिति के कारण भूटान दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था, लेकिन अब भूटान ने दुनिया में अपनी जगह बनाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। हालिया समय में भूटान ने एक खुली-द्वार नीति विकसित की है और दुनिया के कई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रयास किये हैं।

- भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में भी भूटान को। बीपससमे भूमस की संज्ञा दी जाती है। यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। चुम्बी घाटी से चीन की सीमाएँ लगभग 80 मील की दूरी पर हैं, जबकि भूटान चीन से अपना लगभग 470 किमी. लंबा बॉर्डर साझा करता है। ऐसे में चीन के विस्तारवादी रुख के मद्देनजर भूटान की सीमाओं को सुरक्षित रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे न केवल भूटान को बल्कि उत्तरी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को भी खतरा हो सकता है।
- भारत और भूटान के बीच 605 किलोमीटर लंबी सीमा है तथा वर्ष 1949 में हुई संधि की वजह से भूटान की अंतर्राष्ट्रीय, वित्तीय और रक्षा नीति पर भारत का प्रभाव रहा है। भारतीय सेना भूटान की शाही सेना को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण देती रही है। इधर हालिया कुछ वर्षों में चीन ने भूटान को प्रभावित करने की कोशिश की है। इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि जितना भारत के लिये भूटान के साथ अच्छे संबंध रखना ज़रूरी है, उतना ही चीन के लिये भी भूटान से बेहतर संबंध रखना ज़रूरी है। लेकिन अभी तक भूटान और चीन के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं बन पाए हैं, ऐसे में भूटान के चीन के निकट जाने की फिलहाल कोई सूरत दिखाई नहीं देती।

भारत और भूटान से है चीन का सीमा विवाद

चीन की सीमाएँ 14 देशों के साथ लगती हैं और इनमें भारत और भूटान ही ऐसे हैं जिनके साथ चीन का सीमा विवाद अब भी जारी है। वर्ष 2017 में हुआ डोकलाम विवाद इसी सीमा विवाद का परिणाम था। भूटान और चीन के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं, जबकि भारत-भूटान के बीच काफी गहरे संबंध हैं। भूटान को चीन और भारत के बीच का बफर जोन भी कह सकते हैं। भारत के लिये भूटान का महत्त्व उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से ही अधिक है। भूटान एक भू-आबद्ध देश है जो एशिया महाद्वीप के दो बड़े देशों भारत और चीन के बीच एक बफर जोन जैसा है। इसका महत्त्व वर्ष 1951 में चीन के




चित्र 3: भारत भूटान सीमा

तिब्बत पर कब्जा करने के बाद और बढ़ गया। भूटान के पश्चिम में भारत का सिक्किम, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण-पूर्व में असम है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला इसे नेपाल से अलग करता है। दोनों देशों की सीमाएँ भले ही एक-दूसरे को अलग करती हैं, लेकिन भारत और भूटान के नागरिकों को एक-दूसरे की सीमा में आने-जाने के लिये किसी वीजा की जरूरत नहीं होती।

भूटान में लोकतंत्र स्थापना में भारत का योगदान

सदियों तक चले राजतंत्र के बाद वर्ष 2008 में भूटान ने लोकतंत्र की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया और आश्चर्यजनक रूप से इसकी शुरुआत तत्कालीन भूटान नरेश ने ही की थी तथा उन्हीं

की पहल पर भूटान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हुए। तब से अब तक वहाँ तीन बार चुनाव हो चुके हैं। जिसमें भारत के निर्वाचन आयोग ने अहम भूमिका निभाई। भूटान के संविधान के अनुसार आम चुनाव दो चरणों में होते हैं। पहले चरण में मतदाता विभिन्न दलों में से अपनी पसंद के दल चुनते हैं। सर्वाधिक पसंद किये गए केवल दो दलों के उम्मीदवारों को ही दूसरे चरण में भूटान के 20 जिलों से उम्मीदवारी का मौका मिलता है। राष्ट्रीय सभा के निम्न सदन की 47 सीटों में से अधिकांश पर विजयप्राप्त करने वाले दल के नेता को भूटान के राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। समस्त प्रक्रियाएं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ही हैं।



सारणी 1

जलविद्युत के क्षेत्र में सहयोग

- भूटान की जलविद्युत परियोजनाएँ दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं जो भारत को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती हैं तथा राजस्व अर्जन के साथ-साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- अब तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 1416 मेगावाट की तीन पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग किया है और ये परियोजनाएँ चालू अवस्था में हैं तथा भारत को विद्युत निर्यात कर रही हैं।
- भारत और भूटान के बीच जलविद्युत क्षेत्र में सहयोग वर्ष 2006 में हाइड्रोपावर क्षेत्र में हुए सहयोग समझौते तथा प्रोटोकॉल (Agreement and Cooperation in Hydropower and Protocol) पर आधारित है जिस पर मार्च 2009 में हस्ताक्षर किये गए थे। इस प्रोटोकॉल के तहत भारत सरकार भूटान सरकार को वर्ष 2020 तक कम-से-कम 10 हजार मेगावाट जलविद्युत के विकास में सहयोग देने तथा भूटान भारत को अतिरिक्त विद्युत का निर्यात करने पर सहमत हुआ था।
- जलविद्युत निर्यात भूटान के घरेलू राजस्व का 40% और उसके सकल घरेलू उत्पाद का 25% से अधिक राजस्व प्रदान करता है।

भारत का प्रोजेक्ट दंतक

ऊर्जा, अवसंरचना और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें तो भारत के सहयोग से भूटान की अवसंरचना की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई हैं। इसमें भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा चलाए जाने वाले 'प्रोजेक्ट दंतक' की भूमिका अहम है, जिसके तहत भूटान में लगभग 1800 किमी. लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत पारो एवं यांगफुला में हवाई पट्टियाँ, हेलीपैड, दूरसंचार नेटवर्क, भारत-भूटान माइक्रोवेव लिंक, भूटान आकाशवाणी केंद्र, प्रतिष्ठित इंडिया हाउस परिसर, जल विद्युत केंद्र, स्कूल एवं कॉलेजों का निर्माण कार्य भी किया गया है। वर्ष 1961 में भारत के सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू किया गया 'प्रोजेक्ट दंतक' किसी विदेशी धरती पर राष्ट्र निर्माण के लिये शुरू किया गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है।

सहयोग के अन्य बिंदु

- भारतीय सहायता से ही भूटान के तीसरे नरेश जिग्मे दोरजी वांगचुक ने भूटान योजना आयोग की नींव रखी थी और तब से भारत भूटान में चलने वाली योजनाओं के लिये आर्थिक सहायता देता रहा है, ताकि संसाधनों की कमी के कारण भूटान का विकास न रुके। भारत ने भूटान की बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 4500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है।

